

08.09.2020

पत्रावली पेश। वकील पार्थी इवाङ्गित।
 - पुंकि मूल दावा जरिये किसे खारिज
 किया जा चुका है अतः प्रार्थना-पत्र
 - पत्रावे जाने का कोई औचित्य नहीं
 है इसलिए प्रार्थना-पत्र को भी
 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है
 पत्रावली फेसल मुद्दा छोड़ नंबर
 से क्रम की जाकर सावित्र दफ्तर हो।

का आदेश



विद्य

[Handwritten signature]

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट ट्रैक) सांचौर (जालोर)

